उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना

1531. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में अब तक कितने ग्रामीण बैंक खोले जा चुके हैं;

(ख) वाराणसी डिवीजन में ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या निकट भविष्य में बलिया में ग्रामीण बैंक की स्थापना करने का विचार है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). अभी तक, उत्तर प्रदेश में तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जा चुकी है, जो निम्नलिखित स्थानों पर हैं :

बैंक का नाम	व्याप्त जिले	मुख्य कार्यालय का स्थान
प्रथमा बैंक गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	मुरादाबाद, गोरखपुर और देवरिया	मुरादाबाद गोरखपुर
संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	आजमगढ और गाजीपुर	आजमगढ

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के लिए बलिया की उपयुक्तता के विषय में 'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विषयक संचालन समिति' द्वारा, इस प्रकार के बैंकों के वास्ते अन्य समकक्ष स्थानों के साथ विचार किया जायेगा। इस संबंध में जो मापदंड अपनाया जाता है, वह यह है कि —

(i) वह क्षेत्र, अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है अथवा उस क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी क्षेत्र के बैंकों की व्याप्ति अपेक्षाकृत कम है, और

(ii) उक्त क्षेत्र के लिए यदि एक बार ऋण की उपलब्धि सुनिश्चित हो जाय तो उसमें विकास की वास्तविक संभावना निहित है ।

Revision of Study Leave Rules

1532. SHRI LILADHAR KOTOKI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether a Government employee can take one year's study leave at a time, whereas certain courses are of two to four years' duration;

(b) whether certain categories of staff are finding it difficult to get study leave for certain regular courses in the Universities; and

(c) if so, the steps being taken to revise the study leave rules and to improve the career prospects of lower categories of staff?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) The maximum amount of study leave which may be granted to a Government servant is ordinarily 12 months at a time and 24 months during the entire service It is permissible to combine with study leave other kinds of leave provided the total absence of the Government servant from regular duties does not exceede 28 months.

(b) and (c). In the absence of details of the catagories of staff which are reported to be facing difficulties, it is not possible to be precise. Study leave is, however, a special facility given to employees to enable them to undergo special courses of study or specialised training in professional or technical subjects closely connected with their sphere of work. It is not granted for prosecution of studies in academic or literary subjects leading to degree or diploma.